TA 55/13 उमराव सिंह बनाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/22	पत्रावली प्रस्तुत। श्री S.K. आंजना वकील अपीलार एवं श्री शहादत अली वकील रेस्पोंडेंट की ओर से उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने प्रा.पत्र मूल वाद का निस्तारा होने से प्रस्तुत अपील धारा 212 RTA की चलने योग्य नहीं होने बाबत प्रस्तुत किया। राज.राज.प्रा.पत्र के साथ S.R. का विधि की प्रति. एवं वाद पत्र पढ़े बिना वकील अपीलार के अधिवक्ता को सिखाई गयी। तत्पश्चात बहस सुनी गयी। मैंने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन किया। राज. न्यायालय अधिनियम में उक्त प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना में उचित समझता हूँ। अतः अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार करके प्रस्तुत अपील के TA 55/13 मूलवाद खारिज किये जाने के इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील TA 55/2013 धारा-212 RTA चलने योग्य नहीं होने के खारिज की जाती है। प्रा.पत्र पारित रहे। पत्रावली पॉसल घेरा नकल के कक्ष की जावे।	